राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3049/2023

ममता चौहान —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 30.10.2023
आदेश की दिनांक : 01.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्म चंद जैन, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का 120 दिन का सीसीएल अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को दिनांक 20.04.2021 को व्याख्याता (गृह विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडवारी जिला दौसा और उसके पश्चात अपीलार्थी को बस्सी, जयपुर में दिनांक 05.10.2021 को स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी ने पहली बार शाला दर्पण पर दिनांक 09.09.2023 को 180 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और दिनांक 14.09.2023 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को सीसीएल के लिए आवेदन भी भेजा। आवेदन में अंकित किाय कि उनका नाबालिग बेटा द्विज सिंह अपनी आगामी अर्धवार्षिक 12वीं बोर्ड परीक्षा और आईआईटी–जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए 12वीं कक्षा साइंस मैथ स्ट्रीम में

पढ़ता है। अपीलार्थी की बेटी 8 साल की है और वह फाइब्रिल कन्वर्सिंग से पीड़ित है। अपीलार्थी स्वयं ही अपने दोनों नाबालिग बच्चों की देखभाल कर रही है। क्योंकि उसका पति में एसबीआई बैंक में नागौर जिले में उसकी पोस्टिंग के स्थान से लगभग 200 कि.मी. दूर है। आवेदक को स्कूल और घर पर दोहरी ड्यूटी निभानी पड़ती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वह स्कूल में अपने कर्तव्यों को कुशलता से करने की स्थिति में नहीं है। अपीलार्थी के पास अर्जित अवकाश बाकी है, इसलिए उसने सीसीएल के लिए आवेदन किया। सीसीएल के लिए आवेदन को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा यह कहकर अनुमति नहीं दी गई है और सक्षम प्राधिकारी को भी अग्रेषित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता की सेवा पुस्तिका पिछले पोस्टिंग स्थान से प्राप्त नहीं हुई है। यह तथ्य प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक बस्सी जिला को भेजे गए पत्र दिनांक 15.09.2023 (अनुलग्नक–1) से स्पष्ट होता है। प्रत्यर्थी संख्या–4 को सूचित करते हुए अपीलार्थी दिनांक 31.08.2023 से 21.09.2023 तक बीमार छुट्टी पर थी और दिनांक 22.09.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा ड्यूटी पर शामिल हुए और प्रत्यर्थी संख्या–4 के पास पीएल फॉर्म के साथ बीमारी और फिटनेस के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र भी जमा किया, लेकिन उसे आज तक सीसीएल की मंजूरी नहीं दी गई है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांक 15.10.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर 120 दिन का सीसीएल अवकाश स्वीकृत कराने का अनुतोष चाहा गया है।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (गृह विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने शाला दर्पण पर दिनांक 09.09.2023 को 180 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी के सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली पूर्व पदस्थापन स्थान से वर्तमान पदस्थापन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। सेवानियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलार्थी ने 180 दिवस हेतु अवकाश आवेदित किया, जो नियमानुसार नहीं है। अतः अपील में अंकित तथ्यों/कारणों के दृष्टिगत अपीलार्थी को संशोधित आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करने का परामर्श किया जाता है

एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि संशोधित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कर अपीलार्थी का सेवाभिलेख को मंगाया जाकर आवेदन के अधिकतम एक माह में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

उक्तानुसार अपील मय लम्बित प्रार्थना पत्र निस्तारित किए जाते है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य